



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24072023-247576
CG-MH-E-24072023-247576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 516]
No. 516]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2023/श्रावण 2, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2023/SHRAVANA 2, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 24 जुलाई, 2023

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/139.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,-

- (1) विनियम 22घ में, शब्दों "समाशोधन सदस्यों" के बाद और शब्दों तथा चिह्नों "और ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्कुरिटीज़)" से पहले, चिह्न तथा शब्द ", सहभागियों (पार्टिसिपेंट)" जोड़े जाएँगे।
- (2) विनियम 37 में,
 - (क) उप-विनियम (2) में, शब्दों "यदि समाशोधन सदस्य" के बाद और शब्दों "अपनी निपटान संबंधी बाध्यताओं" से पहले, शब्द तथा चिह्न "या सहभागी (पार्टिसिपेंट)" जोड़े जाएँगे;
 - (ख) उप-विनियम (3) में, शब्दों तथा चिह्नों "समाशोधन सदस्य (सदस्यों)" के बाद शब्द तथा चिह्न "या सहभागी (सहभागियों)" जोड़े जाएँगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./298/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् –
 - (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
 - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (ग) 8 अक्तूबर, 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/32, द्वारा
 - (घ) 23 मार्च, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा
 - (ङ) 13 अगस्त, 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44, द्वारा
 - (च) 12 अगस्त, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/93, द्वारा
 - (छ) 15 नवम्बर, 2022 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/104, द्वारा
 - (ज) 28 फरवरी, 2023 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/124, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th July, 2023

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/139.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely: —

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, —
 - (1) in regulation 22D, after the words “the clearing members” and before the words “and issuers of the debt securities”, the words and symbol “, participants” shall be inserted.
 - (2) in regulation 37,
 - (a) in sub-regulation (2), after the words “the event of a clearing member” and before the words “failing to honour”, the words “or a participant” shall be inserted;
 - (b) in sub-regulation (3), after the words “failure of clearing member(s)”, the words “or participant(s)” shall be inserted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./298/2023-24]

Footnotes:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on—
 - (a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
 - (b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.
 - (d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.
 - (e) 13th August, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.
 - (f) 12th August 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/93.
 - (g) 15th November, 2022, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/104.
 - (h) 28th February, 2023 by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/124.